

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

23

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/1345

दिनांक : 26-02-14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णय OXFORD COLLEGE, GWALIOR को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित B.B.A., B.C.A., B.LIB., M.LIB., PGDCA पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

- 1 महाविद्यालय को प्रारंभ हुए 05 साल का समय हो गया है जो भूमि महाविद्यालय हेतु क्रय की गई है उस पर अभी तक भवन नहीं बनाया गया है अन्तिम बार आपको मोक़ा दिया जा रहा है कि आप क्रय की गई भूमि पर महाविद्यालय का भवन 06 माह में बनाकर विश्वविद्यालय को सूचित करें इसके अभाव में सत्र 2014-15 की सम्बद्धता प्रदान नहीं की जा सकेगी।
2. 28(17) में 2010 में जो नियुक्ति की गई है वो योग्यता के अभाव में निरस्त हो चुकी है 03 माह में इन नियुक्तियों को पुनः 28(17) में कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।
3. गन्थालय में 50,000/- रुपये की मानक पुस्तकें क्रय करें।
4. एन.एस.एस. इकाई की स्थापना करें।
5. शिक्षकों को वेतन बैंक/बैंक के माध्यम से प्रदान करें।
6. परिनियम 27, 28 का पालन सुनिश्चित करें।
7. कम्प्यूटर लैव में पाठ्यक्रम से सम्बन्धित लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्रय करें

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, OXFORD COLLEGE, GWALIOR.
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-वंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)